



करने से वादी का वाद  
स्वीकार करना 1 हुक्म देना  
न्यायचित है। अता वाली के  
उम्दा अपराजी अरु इ नाम  
करीम खां के स्थान पर  
परीद खां पुत्र जानु खां हुक्म  
करने के आदेश दिया जाता है।  
डिडी पर्चा जारी है।

(परीस्थ राश)

दिल्लीन अधिवसी न्याय अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018  
उपजुज न्यायिकी एवं न्याय सहायक कलेक्टर  
बालोहरा कम्प... आमोलीन. वीर